.....वा

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाडा
2. तहसीलदार महोदय बिजौलियां

.....प्रतिवादी

उपस्थितः—

छीतरलाल धाकड अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 16.01.20

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राज वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा मौजा भोपतपुरा स्थित बिला खसरा नं0 117 एंव 118 मे से 10 बीघा भूमि का आवंटन कराने हेतु दिनांक 17 1995 को आवेदन किया। प्रतिवादी नं0 1 की गठीत आवंटन समिति जिसका अ उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ थे 18.12.1975 को आवंटन समिति के सद एंव अध्यक्ष ने आराजी खसरा नं0 118 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन कर दि आवंटन आदेशो की पालना में पटवार हल्का द्वारा भूमि की मौके पर पैमुदगी कब्जा सिपुर्द किया गया जहा न तो शिक्षा विभाग का एंव न ही अन्य का कब्जा वादी को पटवारी हल्का द्वारा पैमुदगी कर दी गयी। भूमि पर आवंटन शर्तो पालना करते हुये भूमि को काश्त के रुप में उपयोग प्रारम्भ कर दिया। वादी कृषि भूमि को बंजड से काबिल काश्त बनाने के लिये ठुठ निकलवाये भूमि समतल करवाया वं आवश्यकतानुसार मिट्टी की भरायी करवाई। प्रतिवादी नं तत्कालीन तहसीलदार माण्डलगढ ने वादी को बिना जानकारी मे आने दिये व सुनवाई किये सिधे रुप से वादी के भूमि आवंटन आदेशों को दिनांक 03.03.1977 खारीज कर दिया। बिजौलियां अतिरिक्त तहसील क्षेत्र के तहसीलदार माण्डलगढ आवंटन समिति माण्डलगढ जिसका अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ था। आवंटन आदेश को खारिज करने का अधिकार नही था फिर भी अपने अधिकारो परे जाकर विधी विरुद्व आदेश पारित कर दिया। जबकि विधी की व्यवस्था अनुसार गलत आवंटन भी हुआ है तो उसको खारीज करने की कार्यवाही व्य व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में करना होता है। तहसीलदार माण्डलगढ ने अ पारित आदेश दिनांक 03.03.1977 की सूचना वादी को नही दी। वादी का अ दिनांक भी भूमि पर कब्जा होना माना जायेगा। पटवार हल्का भोपतपुरा द्वारा दिन 26.11.1976 को यह रिपोर्ट की गई कि आराजी खसरा नं0 118 रकबा 5 बीघा में बिस्वा भूमि पर स्कूल बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 4 बिघा 2 बिस्वा बिलानाम भूमि थी। जिस 18 बिस्वा भूमि पर स्कूल का बना हुआ होना दर्शाया है। उसका आवंटन स्कूल को आवंटन आदेश दिनांक 18.12.1975 को नही दि गया था। और कुलियाा 5 बीघा भूमि रिक्त पडी हुई थी। इसीलिये वादी के पक्ष किया गया आवंटन त्रुटी पूर्ण नही था। वादी आज भी भूमि का खातेदार है इसी वादी को आराजी खसरा नं0 118 रकबा 5 बीघा का खातेदार काश्तकार घो

16/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

किया जाकर प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रेषित राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम पर बहेसियत खातेदार के दर्ज किया जाना आवश्यक एंव कानून सम्मत है।

वाद हेतुक दिनांक 14.08.2011 से उत्पन्न: हो सतत रुप से जारी है। प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधी होने से 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः मौजा भोपतपुरा स्थित वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 118 रकबा 5 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री बहकवादी विरुद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरियें समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित किया कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है। विवादित आराजी संख्या 117 का कुल रकबा 12.03 बीघा में से रकबा 10.00 बीघा प्यारा घुत्र भवाना भील व सुडी बेवा काना भील की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा 2.03 बीघा गै0मु0 स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है ग्राम भोपतपुरा की उक्त विवदित खसरा नम्बरान में ना तो कोई रकबा बिलानाम सरकार शेष है और ना ही वादी का कही कब्जा काश्त है। वादी को किसी प्रकार के अनुतोष पाने का अधिकार नही है अतः वादपत्र वादी खारीज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये। शपथ पत्र वादी शिवपाल सिंह। 2. आवंटन आवेदन पत्र ईएक्स–1। 3. रिपोर्ट पटवारी ईएक्स–पी 2। 4.जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 तक ईएक्स–पी 3। 5. जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 ईएक्स–पी 4 प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में कोई दस्तावेज़ात प्रस्तुत नही हुये।

वादपत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

तनकी नं0 1

1. आया कि वादी को ग्राम भोपतपुरा स्थित आराजी नं0 118 में 5 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 18.12.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। उक्त आवंटन से वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है जिससे वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है। .....जिम्मेवादी

तनकी नं0 2

1. आया कि वादग्रस्त आराजी नं0 118 में कोई रकबा बिलानाम सरकार शेष नही है। उक्त आराजी शिक्षा विभाग के नाम दर्ज होकर भवन बना हुआ है एंव वादी का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्ल्यू 1 शिवलाल पिता नाथुलाल हजुरी पेशा नोकरी निवासी बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया गया कि मेरे नाम पर मौजा भोपतपुरा में 5 बीघा भूमि है जिसके आवंटन हेतु फलस्वरुप मुझे आरांजी नं0 118 मौजा भोपतपुरा में 5 बीघा भुमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई। आवंटन के पश्चात मुझे 5 बीघा भूमि पटवारी द्वारा मौके पर जाकर पैमुद की गई। वक्त पैमुदगी मौके पर पैमुद शुदा भुमि पर किसी का कब्जा नही था उक्त भूमि को मेरे द्वारा कडी मेहनत कर आबाद की

16/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया(भीलवाड़ा)

नं0 में आवंटन हेतु प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त भूमि आवंटन सुची में अंकित थी। मेरे से तहसीलदार साहब द्वारा किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त नही किया जिसका उनको किसी प्रकार का क्षैत्राधिकार नही था। मुझ प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में 4.02 बीघा भूमि पर कब्जा है। मे उक्त जमीन को मेरे नाम पर खातेदारी से दर्ज कराना चाहता हुँ मेनें वादपत्र के साथ आवंटन आवेदन पत्र प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट पटवारी हल्का पैमुदगीप्रदर्श पी–2 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2032 प्रदर्श पी–3 जमाबंदी खाता संख्या 316 सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श पी–4 दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये है दावा डिक्री कियां जाकर हर्जा खर्चा दिलाया जावे। जिरह प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने लिखवाया कि वादी ने कब्जा लगातार होना बताया हैं लेकिन धारा 91 के तहत कोई नोटिस प्राप्त नही होना बताया है इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी का आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा नही रहा है। इसी आराजी नं0 में विद्यालय के नाम 18 बिस्वा भूमि आराजी नं0 118 में दर्ज है।

साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू I महावीर प्रसाद पिता नन्दलाल शर्मा पेशा नोकरी पटवारी हल्का भोपतपुरा निवासी बून्दी के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि ग्राम भोपतपुरा की आराजी नं0 117 रकबा 12.03 बीघा मे से 10 बीघा भूमि प्यारा पुत्र भवाना एंव सुडी बेवा खाना जाति भील निवासी सादेह के नाम पर दर्ज रिकार्ड है तथा उसी नं0 मे से बचा हुआ शेष रकबा 2.03 बीघा गै0मु0 आबादी दर्ज है तथा खसरा नं0 118 का कुल रकबा 18 बिस्वा गै0मु0 स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। ग्राम भोपतपुरा की उक्त विवादित खसरा नम्बरान मे न तो कोई बिलानाम रकबा बचा हुआ है और न ही वादी शिवपाल सिंह पिता नाथूलाल जाति हजुरी निवासी बजौलियां का कब्जा काश्त है। उक्त आराजीया मे से वादी द्वारा भूमि की मांग की गई किन्तु रकबा शेष नही होने से दिया जाना सम्भव नही है। जिरह वकील वादी ने बयान में लिखवाया कि वादपत्र के साथ आवंटन प्रार्थना पत्र किस तारीख को प्रस्तुत किया जिसकी तारीख के साथ वर्ष अस्पष्ट होने से नही बता सकता प्रार्थना पत्र शिवपाल द्वारा पेश किया जाना प्रतित है। प्रार्थी को आंराजी नं0 118 मौजा भोपतपुरा में 5 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 18.12.1975 को शिवपाल के नाम से हुई। उक्त रकबा खाली था। भूमि आवंटन के समय आपति हो तो मुझे पता नही। उक्त आवंटन शुदा जमीन में रिपोर्ट पटवारी भोपतपुरा ईएक्स पी–2 है में आराजी नं0 118 मे 18 बिस्वा रकबा में ही विद्यालय बाबत दर्शाया है यह रिपोर्ट दिनांक 26.12.1976 को हुई थी। ईएक्स पी–1 में आवंटन खारीज होने का अकल वर्ष में अस्पष्टता है जो तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा किया हुआ है। आवंटन निरस्तीकरण की प्रक्रिया की मुझे जानकारी नही है। आराजी नं0 118 में स्कूल आवंटन के पश्चात बचा रकबा पर कब्जा वादी का नही है वक्त आवंटन मेरी उपस्थिति भोपतपुरा में नही थी।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एंव पेरोकार सरकार की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि वादी को भूमि आवंटन हुई है। मोके पर कब्जा है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि को निरस्त करने का नोटिस वादी को नही दिया है। आज भी कब्जा है। वादपत्र वादी आवंटन अनुसार डिक्री फरमावे।

16/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा बताया कि वादी को भूमि आवंटन आवेदन पत्र में नोट अंकित किया कि "अलोट शुदा भूमि में स्कूल बना हुआ है अतः आवंटन खारिज फरमावे। तथा कोई रकबा भी शेष नही है। जब पूर्व में ही आंवटन आवेदन पत्र पर नोट अंकित था अलोट शुदा में स्कूल भवन बना हुआ है अतः आवंटन खारिज किया जाता है। जब आवंटन ही खारिज हो गया तो वादी इस प्रकार इस आवेदन पत्र के

आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है वाद पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन किया । तनकीवार विवेचन इस प्रकार है:–

तनकी नं0 1

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है वादी ने तनकी के समर्थन में भूमि आवंटन आदेश आवेदन पत्र ईएक्श–1 व रिपोर्ट पटवारी भोपतपुरा ईएक्श–2 प्रस्तुत किया है। आवंटन फार्म के पीछे आवंटन खारिज करने का नोट लगा हुआ है आवंटन आवेदन पत्र में नोट अंकित है कि अलोट शुदा भूमि में स्कूल बना हुआ है खारिज किया गया है। आवंटन आवेदन पत्र पर अंकित नोट आज भी प्रभावी है। वादी इस आवंटन के बारे में कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है चुकि उक्त भूमि में विद्यालय निर्मित होकर आवंटन खारिज करने का नोट आवंटन आवेदन पत्र पर ही अंकित है। जिससे प्रथमतः वादी को वादग्रस्त भूमि आवंटन ही नही हुई है तथा आवंटन निरस्त के इसं आवेदन पत्र पर वादी वादपत्र प्रस्तुत कर दाद हासिल नही कर सकता। जब मौके पर वादग्रस्त भूमि में विद्यालय बना हुआ है तो वादी द्वारा काश्त कैसे की जा सकती है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 2

पत्रावली में सलंग्न आवंटन आदेश रिपोर्ट पटवारी व जमाबंदी से मौके पर शिक्षा विभाग का कब्जा है विद्यालय निर्मित है तथा मौके पर कोई रकबा ही शेष नही है, वादी अनुतोष पाने का अधिकारी नही है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष के पक्ष में तय की जाती है

तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादपत्र वादी खारिज योग्य है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया